

प्रेषक,

एल.एन.पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
उत्तराखण्ड।

लेखाकार (मु.स. की.)
कृ.प.जा.अ.स.
की. कामेली जी. का.
AMA
28.10.2014

संख्या:- 842/XXVII(1)/2014

वित्त अनुभाग-1देहरादून:: दिनांक: 21 : अक्टूबर, 2014

विषय:- तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2014-15 की तृतीय किश्त की धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के आधार पर शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2014-15 की तृतीय किश्त की धनराशि ₹190497000.00 (रु.उन्नीस करोड़ चार लाख सतानब्बे हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही है:-

(i) संक्रमित की जा रही धनराशि प्रथमतः वेतन, भत्तों व पेंशन पर व्यय की जायेगी तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एवं सदस्य जिला पंचायत) को मानदेय का मुगतान शासनादेश सं० 2004/XII/2011/86 (10)/2005 दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 में उल्लिखित धनराशि के अनुसार किया जा सकेगा। शेष धनराशि विकास कार्यों पर व्यय की जायेगी।

➤ वर्तमान किश्त भी विगत वित्तीय वर्ष 2013-14 की तृतीय किश्त के आधार पर ही अवमुक्त की जा रही है। आगामी किश्तों में प्रोत्साहन और हतोत्साहन की प्रणाली लागू की जायेगी, जो जिला पंचायतें विभव व सम्पत्ति कर नहीं लगायेंगी उनका अंश इसी स्तर पर रोक दिया जायेगा तथा उन्हें राज्य के कर राजस्व में वृद्धि होने की वजह से मिलने वाली बढ़ोत्तरी पाने का हक नहीं होगा। विभव व सम्पत्ति कर लगाने वाली जिला पंचायतों को खुद के राजस्व में प्रत्येक 10 प्रतिशत की वृद्धि के लिए अन्तरण में उनके हिस्से में 5 प्रतिशत अधिकतम 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दी जायेगी।

➤ विभव व सम्पत्ति कर लगाने वाली पंचायतें अगली किश्त अवमुक्त होने से पूर्व ही वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभव व सम्पत्ति कर से प्राप्त धनराशि का विवरण बढ़ोत्तरी में तुलनात्मक धनराशि व उसका वृद्धि प्रतिशत सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तब ही अगली किश्त कर राजस्व में वृद्धि के अनुसार अवमुक्त की जा सकेगी।

3- कोषागार से संक्रमित की जा रही धनराशि आहरित करने हेतु बिल सम्बंधित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

